

किन-किन मूल्यों का सुहादिकरण

शासन व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का आशय उनसे है जो प्रशासनिक निर्णय एवं क्रियाकलापों में होने चाहिए जैसे- सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, करुणा, परानुभूति, व्यापकता, संबन्धनशीलता, प्रेम एवं सद्भाव आदि।

साथ आवश्यक क्यों ?

- सुशासन एवं नैतिक शासन की स्थापना में सहायक।
- नीति एवं योजनाओं का प्रभावी एवं कुशल क्रियान्वयन।
- सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति।
- लोक निधि का सदुपयोग।
- लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना साकारित।
- "SMART" शासन की स्थापना।
- जन केन्द्रित शासन की स्थापना।
- भ्रष्टाचार पर नियंत्रण।
- लाल-फीताशाही पर नियंत्रण।

प्रशासन में नैतिक मूल्यों के सशक्तिकरण के उपायों को तीन भागों में बांट कर देखा जा सकता है-

↓ वैधानिक संस्थागत उपाय ↓	↓ नागरिक शासन सहभागिता ↓	↓ तकनीकी
- BNS	- सूचना का अधिकार	ई-गवर्नेंस
- आचरण संहिता	- नागरिक अधिकार घोषणा पत्र	बायोमैट्रिक प्रणाली
- भ्रष्टाचार निवारक कानून	- जनहित याचिका	- D.O.T
- CAG	- सामाजिक आंकड़ों	- RTI
- राज्य सतर्कता आयोग	- जन जागरूकता/ जन सहभागिता	- Digital India
- MCB	- जन सशक्तिकरण	- C.C.T.V
- CBI	- सिविल सोसल्टी	- जन P.S तकनीकी की मदद
- लोकपाल और लोकायुक्त		- मिशन कर्मचारी
- लोकसेवा गारंटी एक्ट		- समय-समय पर प्रशिक्षण सत्र
		* P4 की अवधारणा (प्रश्न आधारित पेमेंट, प्रमोशन और पेंशन)

अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था में नैतिक मुद्दे:-

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ देश विकसित और सम्पन्न हैं जबकि कुछ विकासशील, तो अनेक देश निर्धन और पिछड़े हैं।

कहा जाता है कि एक व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना होना चाहिए।

इसके लिए पर्यावरण मित्र तकनीक एवं आर्थिक संसाधनों तक विकासशील एवं गरीब देशों की भी पहुँच होनी चाहिए ताकि "वस्तुधैव कुटुम्बकम्" की अवधारणा को साकारित किया जा सके।

वर्तमान वैश्वीकरण के युग में विभिन्न देशों में सेवाओं और वस्तुओं का आदान-प्रदान बढ़ा है और आर्थिक अंतर निर्भरता में हल्की हुई है वहीं सन्दर्भों में फंडिंग के नैतिक मुद्दे उभर के सामने आये हैं।

भारतीय संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 51) में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता पर बल दिया गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में -

1. अंतर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का
2. देशों के मध्य व्यापसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाये रखने का।
3. एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और सन्धि बाध्यताओं के प्रति भाव बढ़ाने का
4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का।

उपरोक्त मनतब्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के सन्दर्भ में मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नैतिक मुद्दे

1. पर्यावरणीय मुद्दे :-

- 'विकासित एवं सम्पन्न देशों' के द्वारा कार्बन उत्सर्जन को रोकने हेतु विशेष फंड एवं पर्यावरणीय मित्र तकनीक न देना, इसरी ओर वे अन्य देशों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने पर दबाव डालते हैं।

2. परमाणु निरस्तीकरण (पोहरा रखेगा/विकासित देशों द्वारा) :-

15 देश स्वयं परमाणु हथियार रखते हैं और अन्यो के लिए प्रतिबंधित करते हैं।

3. आतंकवाद का मुद्दा :-

- पोहरा रखेगा, स्वयं के लिए आतंकवाद और इसरे देशों में होने पर आधिपत्य की स्वतंत्रता और मानवाधिकार की लड़ाई।

4. व्यापार का मुद्दा :-

भूमि मानक और पर्यावरणीय मानक के आधार पर होने वाले अन्य देशों के आयात को रोकना।

5. आश्रय का मुद्दा / शरणार्थी समस्या :-

IMF और World bank जैसी संस्थाओं पर

विकासित देशों का नियंत्रण है। ऐसी स्थिति में जब ये अन्य देशों को ऋण या अनुदान देते हैं तो उसके साथ विभिन्न शर्तों को जोड़ देते हैं जो विकासित देशों के लिए फायदेमंद है।

कई देश हमारे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे ऋण जाल में फंसा देते हैं उस देश के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। मनमाफिक राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे इस देश की आंतरिक सम्पत्ति पर प्रहार करते हैं। फंडिंग करते समय अपने आर्थिक और सामरिक हित को वरीयता देते हैं।